3/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 19/2016

दिनांक : 24.05.2016

1. शान्ति पुत्री धनपत जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील रावतसर।

– अपीलांट

बनाम्

1. जगदीश दत्तक पुत्र धनपत जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर।
2. रामप्यारी पुत्री धनपत पत्नी लूणाराम जाति जाट निवासी रामपूरा हाल निवासी बणी तहसील राणिया जिला सिरसा–हरियाणा जरिये मुख्त्यारआम बलदेव सिंह पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी बणी तहसील राणिया जिला सिरसा हरियाणा।
3. रामेश्वरी पुत्री धनपत पत्नी सूरजाराम जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय इंतकाल सं. 227 दिनांक 10.05.2016 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री विजय सिंह कडवासरा, अधिवक्ता, अपीलांट
श्री रामेश्वर लाल जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 26.04.2018

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

यह कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 व 3 के पिता धनपत पुत्र दुदाराम के नाम से चक 3 एनडब्ल्युडी तहसील रावतसर ने 145 बीघा भूमि एवं 1955 से पूर्व की थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3/2

जिसका एकमात्र मालिक व काबिज था तथा उक्त भूमि में से उसने भाई रामप्रताप व मृतक भाई जसराज के वारिस पुत्र रामकिशन का कोई हक व हिस्सा न होते हुए भी उन्होने उक्त ढंग से खाता तरमीम करा लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील पेश कर रखी है तथा अपीलांट के पिता धनपत के वारिसान ने उक्त भूमि के लिए घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीएक्ट व 15 ए.ए.ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश कर रखा है तथा अपीलांट के पिता धनपत के द्वारा जगदीश को गोद नही लिया था और न ही खोलानामा कानून के मुताबिक बिन्दु सहित तथा जगदीश, रामप्रताप का पुत्र है तथा रामप्रताप के एक ही पुत्र जगदीश है जिसे कानून के मुताबिक गोद नही दिया जा सकता है तथा गोद लेने हेतु गोद लेने वाले व्यक्ति और उसकी पत्नी की सहमति आवश्यक होती है तथा इन कारणों से जगदीश जो अपने आपको धनपत का दत्तक पुत्र बताता है का खोलानामा वॉयड है तथा वॉयड खोलानामा से जगदीश को धनपत के आराजी में कोई हक नही होता है तथा उक्त जगदीश के खोलानामा को सिविल कोर्ट में चुनौती दे रखी है तथा हाईकोर्ट से जगदीश के गोदनामा बाबत निर्णय नही है जाना है तब तक वादग्रस्त भूमि बाबत कोई कार्यवाही करने का मातहत अदालत को अधिकार नही था तथा तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपीलांट को नुकसान पहुंचाने के लिए बिना नोटिस व बिना सुनवाई के अपीलांट नियम विरूद्ध आदेश दिनांक 10.05.2016 उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक इंतकाल नंबर 227 नियम विरूद्ध है तथा उक्त नियम विरूद्ध कार्यवाही से अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होती है जिससे अपीलांट के खातेदारी हकूक का हनन होता है जिससे अपीलांट इंतकाल नंबर 227 दिनांक 10.05.2016 को मंसुख करवाने करवाने हेतु निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत करती है :–

1. यह कि निर्णय दिनांक 10.05.2016 व उसके आधार पर इंतकाल सं. 227 के कार्यवाही बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात व रूहदाद मिसल है तथा काबिल मन्सुखी है।
2. यह कि मातहत अदालत ने कानून के खिलाफ जाते हुए वादग्रस्त भूमि बाबत इंतकाल सं. 227 दर्ज व तस्दीक दिनांक 10.05.2016 बालिग पुत्र आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1990 सहायक कलक्टर नोहर अवलम्बन 26 साल बाद लेते हुए कानून के मान्य सिद्धान्तों अवहेलना करते हुए पारित की है जो काबिल अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3/3

3. यह कि मातहत अदालत ने उक्त सस्त कार्यवाही नियम विरूद्ध की है तथा अदालत मातहत ने ना तो कार्य पत्रावली मुर्तिब की है तथा ना ही कोई सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया है तथा ना ही कोई नोटिस जारी किये है तथा समस्त कार्यवाही एक तरफा है तथा गैरकानूनी व काबिल मन्सुखी है।
4. यह कि मातहत अदालत को इस कानूनी बिन्दु पर गौर नही किया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय में मामला पेन्डिग है तथा सक्षम कोर्ट दावा वगैरा जेरकार है फिर भी मातहत अदालत ने कानून के मान्य सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए कानून के खिलाफ जाते हुए कतई मनमाने स्वैच्छाचारी व नियम विरूद्ध विधि की घोर अवहेलना में पारित किया है जो काबिल अपास्तनीय है।
5. यह कि अदालत मातहत की समस्त कार्यवाही साजिसाना तौर पर एक ही दिन में की गई है तथा उसमें अपीलांट को कोई सबुत व सुनवाई का अवसर नही दिया है इसलिए उक्त समस्त कार्यवाही सहज न्याय के खिलाफ है तथा इसी आधार पर काबिल मन्सुखी है।
6. यह कि मातहत अदालत का निर्णय निर्णय की परिभाषा में नही आता है तथा केवल रेस्पो. को गलत फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से पारित किया है।
7. यह कि मातहत अदालत ने राजस्थान भू–राजस्व अधि. के किसी भी प्रावधान की पालना नही करते हुए आदेश व इंतकाल दर्ज व तस्दीक की कार्यवाही दिनांक 10.05.2016 को की है जो किसी प्रकार कानूनी की दृष्टि में विधि सम्मत है तथा निर्णय दिनांक 10.05.2016 व उसके आधार दर्ज व तस्दीक इंतकाल सं. 227 काबिल खारिजी के है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि का इंतकाल आवंटन के 26 साल बाद दर्ज किया है जो विधि विरूद्ध है। जबकि जगदीश के खोलानामा को निरस्त करवाने की कार्यवाही सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। तथा किसी आदेश की पालना 26 साल बाद करवाने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पूर्व संबंधित पक्षकार को सुनना भी चाहिए था। जगदीश के पक्ष में बालिग पुत्रों में किया गया आवंटन विधि सम्मत नही है। ऐसे आदेश के विरूद्ध इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही विधि की अवहेलना में स्वतः ही काबिल अपास्तनीय है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार दर्ज व तस्दीक इंतकाल सं. 227 खारिज फरमायें।

वकील रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन है कि विवादित भूमि का आवंटन सक्षम न्यायालय द्वारा बालिग पुत्रों में किमतन किया गया है तथा आंवटित भूमि पर रेस्पो. काबिज है व रेस्पो. धनपत का दत्तक पुत्र होने के कारण ही उक्त आवंटन किया गया है इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। प्रार्थी को जानकारी होने पर आवेदन करने पर तहसीलदार द्वारा उक्त इंतकाल 2016 में दर्ज करने के आदेश दिए थे। अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्ध कंही कोई अपील आदि नही की केवल इंतकाल निरस्त कार्यवाही की है जो विधि सम्मत नही है ना ही उक्त इंतकाल विधि के विरूद्ध दर्ज किया गया है रेस्पो. को आवंटित भूमि में अपीलांट का कोई हक व हिस्सा नही है। अपील स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमावें।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। इंतकाल सं. 227 रेस्पो. को आवंटित भूमि का दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्ध नही कहा जा सकता। अगर उक्त आवंटन से अपीलांट को कोई एतराज है तो वह आवंटन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। रेस्पो. दत्तक पुत्र है या नही वह इस अपील में नही देखा जाना है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हसीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (हनुमानगढ़)